रा०वा० सं. 126/2014 मास्कउर्फ अशरीर बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	न... आ... हु... में
7/10/15	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी एवं पैरोकार राज्य उप। प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सह पठित धारा 136 LR Act 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी को रोही गुलाडिया [?] के ख०नं० 149/112 तादादी 25 बीघा व मौजा रोही मनोहरिया के ख.नं. 401/1 मे तादादी 45-08 बीघा सम्वत 2025 के आवंटन किया गया दिया गया जिस पर वादी निरन्तर काबिज होकर आज दिनांक तक काश्त करता आरहा है जिसकी गिरदावरी सम्वत 2025 से 2032 तक वादी के नाम दर्ज है तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा रकबा उपनिवेशन क्षेत्र मे आजाने पर प्रतिवादी की गलती से वादी का रकबा रिकार्ड मे आराजी राज दर्ज कर दिया जबकि रकबा वादी के नाम दर्ज करना चाहिए था तथा राज्य सरकार के आदेश/निर्देशानुसार पुराने आवंटन को 10 साल तक निरन्तर कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी हक [?] वादी के अर्जित व निहित हो चुके है इसलिए वादी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है जो घोषित किया जावे एवं रिकार्ड मे वादी का नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादी द्वारा सहवन से राज्य सरकार के निर्देशों के विपरीत वादी के नाम के स्थान पर अयनाहक [?] रकबा दर्ज कर दिया जबकि राज्य सरकार के परिपत्र प-3 (123) उपनि/78/ दिनांक 3-1-1979 व पत्र प-3 (29) राजस्थान उपनि. दिनांक 4-1-87 के द्वारा राजस्थान [?] टी.सी./ आवंटियों को तीन साल से अधिक कब्जा होजाने पर खातेदारी/गैरखातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये गये थे लेकिन अहलमद [?] हल्का ने वादी का निरन्तर शांति पूर्वक कब्जा काश्त होने पर नाजायज [illegible] को आराजी राज कर दिया जो	

उप खण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादी के अभिभाषक के समक्ष प्रमाणित एवं सुनवाई इसलिए की (वाद ग्रस्त) रकबा का वादी को काबिज काश्तकार घोषित कर (दुरुस्ती) के जरिये रिकार्ड में प्रतिवादी के स्थान पर वादी का नाम स्थापित कर (तदनुसार) रिकार्ड मेन्टेन करने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जाने बाबत का वादी अधिकारी है।

बाद दायर रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर दावा में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए वाद खारिज करने हेतु निवेदन किया।

दावा व जवाबदावा के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की जाकर उभय पक्ष को व्याख्या की गई:-

1- आया कि वादी गाम रोही गुसाईसर के ख0नं0 149/112 में तादादी 25 बीघा व रोही लेजा मनोहरिया के ख0नं0 60/1 तादादी 45-08 बीघा यानि कुल तादादी 70-08 बीघा भूमि सम्वत 2025 व सम्वत 2029 की जमाबन्दी के आधार पर काबिज काश्तकार घोषित होने व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादी

2 आया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिकूल प्रविष्टी कागजात राज के स्थान पर दुरुस्ती के जरिये वादी का नाम स्थापित करवाने का हकदार है।

— जिम्मे वादी

3- आया कि वादी वादग्रस्त भूमि बाबत प्रतिवादी के विरुद्ध चिर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है।

— जिम्मे वादी

4 आया कि वादी ने आवेदन के सम्बन्ध में व कब्जा प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है इसलिये दावा काबिल खारिज है।

— जिम्मे प्रतिवादी

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	5- आया वादी का वादग्रस्त भूमि पर खाता कायम नहीं होने के कारण दावा खारिज योग्य है।	

विवाद्यकवार

उपरोक्त में कायम तनकीयात की उभयपक्ष को न्यायिक की गई। उभयपक्ष को शहादत पेश करने के अवसर प्रदान किये गये। सर्वप्रथम वादी की ओर से वादपत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रति ग्राम मनोहरिया संवत 2061 खाता 11 आराजी 45.13 बीघा की पेश की जो प्रदर्श-1 है। जमाबन्दी प्रमाणित संवत 2063 से 2066 ग्राम गुसाईपुरा के खसरा 1141 तादादी 15-09 बीघा, खसरा 1141/112 तादादी 25 बीघा व खसरा 149/112 तादादी 25 बीघा की पेश की जो प्रदर्श-2 है। खसरा गिरदावरी ग्राम गुसाईपुरा संवत 2028 खसरा नं. 149/112 तादादी 25 बीघा पेश की जिसके कालम कैफियत में काबिज वल्द सरमुखसिंह को मुजाहिमान सा. महाजन सं. 2025 तादादी 25 बीघा का निर्देशित है जो प्रदर्श-3 है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2029 ग्राम गुसाईपुरा के खसरा 112/149 तादादी 25 बीघा की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श-4 है। खसरा गिरदावरी सं. 2029 से 2032 तक काश्त दर्ज है पेश की। नोटिस धारा 80 CPC प्रदर्श-5 है। ग्राम गुसाईपुरा के आवंटन संख्या 46 की प्रमाणित प्रति पेश की जिसमें ग्राम गुसाईपुरा के खसरा 112 की तादादी 25 बीघा का वादी को जैतखेतदारी का इन्द्राज किया गया प्रदर्श-6 है। वादी की शहादत बन्द कर प्रतिवादी को शहादत पेश करने हेतु अवसर दिया गया। प्रतिवादी द्वारा शहादत पेश नहीं कर बहस चाही गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रारंभ करते हुए वादपत्र के वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी की वादग्रस्त भूमि

उप खण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मौजा रोही गुसाईणा के खसरा 1491/112 तादादी 14 बीघा सम्वत 2025 में व मुरब्बा मनोहरिया के खसरा 4011 तादादी 45-08 बीघा सम्वत 2029 में अस्थाई तौर पर आवंटन की गई। वाद ग्रस्त भूमि आवंटन होने के पश्चात वादी का निरन्तर कब्जा काश्त का कथन सर्वथा मिथ्या व मनगढ़त है वादी द्वारा निरन्तर कब्जा काश्त बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। पैरोकार राज ने कार्यालय में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट के हवाले से कथन किया कि जमाबन्दी सम्वत 2061 से 2064 व सम्वत 2065 से 2068 में खसरा क्रमशः तादादी 45-13 बीघा बारानी-2 किस्म गैर काबिल काश्त खाता संख्या 01 में दर्ज है। सम्वत 2061 से 2069 तक वादी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। पैरोकार राज ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि वादी को कब किस के आदेश से आवंटन हुआ, कब्जा कब दिया गया और कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है न ही उक्त खसरा की खसरा गिरदावरी पेश की है जिससे वादी का वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त साबित होता। वादी द्वारा मात्र पटवारी भूमि को हड़पने की नियत से गलत तथ्य अंकित कर दावा पेश किया है जो काबिल खारिज है जिसे खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष को सुना तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का भली भांति अध्ययन किया कि वादग्रस्त भूमि रोही मौजा गुसाईणा व मनोहरिया का आवंटन सम्वत 2025 व 2029 के आवंटन का रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित है परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी का आवंटन के पश्चात निरन्तर कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं होता है। वादी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करवाया है जिससे वादी को आवंटन के पश्चात वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त प्रमाणित होता हो। वादी की ओर से उपनिवेशन विभाग द्वारा आवंटन के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जा[री]
	जिससे उसे आवंटन भी प्रमाणित होता खातेदारी उपनिवेशन के रजिस्टर में दर्ज होने पर आवंटित भूमि पर विधिवत कब्जा काश्त साबित होने पर निर्णय का आधार हो। उपरोक्त उपलब्ध दस्तावेज मौखिक साक्ष्य व बहस सुनने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पर्याप्त साक्ष्यों एवं विधिवत कब्जा काश्त साबित नहीं होने से खारिज योग्य है जिसे खारिज किया जाता है। पक्षकार डिग्री जारी हो। पत्रावली निर्णय के अनुसार [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। [illegible] उप खण्ड अधि[कारी] लूणकरणसर	